# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —67 / 2019(2019 / 00111)

अनवान : —

1. पुनितकुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी वार्ड न0 29, भादरा।
2. मनीष कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी वार्ड न0 29, भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी वार्ड न0 29, भादरा।
2. ओबीसी शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा गांधीबड़ी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादीगण**
श्री ताराचन्द मोठसरा **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** दिनांक : 05/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बीएचडी सम्वत 2072—75 के वर्तमान खाता संख्या 65 / 109 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 10, 11, 20 ता 22, मु0 न0 16 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 30 के किला न0 1, 2, 9, 10, 12, मु0 न0 34 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 35 के किला न0 6, 7, 9 ता 17, मु0 न0 36 के किला न0 6, 15 इस प्रकार कुल किता 50 की कुल 12.650 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन के नाम से 428—4 / 7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हरलाल की खातेदारी हुआ करती थी। हरलाल से विरासत [illegible] जो प्रतिवादी रामकिशन ने कर्ता खानदान होने के चलते [illegible] रामकिशन ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि [illegible] एवं प्रतिवादी [illegible]लाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तन्हा प्रतिवादी रामकिशन के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन को वादी के दादा हरलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक 4 बीएचडी सम्वत 2048 के खाता संख्या 41 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवांदी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी पुनित कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी वार्ड न0 29, भादरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 4 बीएचडी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 65/109 प्रदर्श 1, खतौनी जमाबनदी चक 4 बीएचडी सम्वत 2048 खाता संख्या 41 प्रदर्श 2, सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 4 बीएचडी सम्वत 2072–75 के वर्तमान खाता संख्या 65/109 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 10, 11, 20 ता 22, मु0 न0 16 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 30 के किला न0 1, 2, 9, 10, 12, मु0 न0 34 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 35 के किला न0 6, 7, 9 ता 17, मु0 न0 36 के किला न0 6, 15 इस प्रकार कुल किता 50 की कुल 12.650 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रा[illegible] के नाम से 428–4/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जि[illegible]भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं[illegible] खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद व[illegible] मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 67/2019 अनुवान पुनित कुमार आदि बनाम रामकिशन आदि धारा 88 आरटीएक्ट

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीएचडी सम्वत 2072–75 के वर्तमान खाता संख्या 65/109 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 10, 11, 20 ता 22, मु0 न0 16 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 30 के किला न0 1, 2, 9, 10, 12, मु0 न0 34 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 20, मु0 न0 35 के किला न0 6, 7, 9 ता 17, मु0 न0 36 के किला न0 6, 15 इस प्रकार कुल किता 50 की कुल 12.650 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन के नाम से 428–4/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें वादी संख्या 1 पुनित कुमार, वादी संख्या 2 मनीष कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:27 IST
Reason: SelfAttested